डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

पत्र अदालत- सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) बांदीकुई

जज इजलास-रामसिंह राजावत आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) बांदीकुई

उनवान- गुरुसहाय बनाम धन सहाय वगै0

दावा बाबत – स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर : 232/2021,(60/2023)

आदेश है कि वाद वादी बाबत स्थायी निषेधाज्ञा भूमि खाता संख्या नया 26 पुराना 23 के खसरा नम्बर 102 ग्राम झीत की ढाणी प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि में होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी होकर। प्रकरण बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निज______मुवक्किल______________________पावेगा______________

_खर्चा इस मुकदमें के मय सूद ग्यारह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बतारीख मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 माह 01 सन् 2026 को जारी की गई।

(हस्ताक्षर) 20/1/26

(रामसिंह राजावत)

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प दरज शबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय इश्तहारात मुतफर्रिक मीजान	निल	निल	स्टाम्प अर्जी दस्ता स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय इश्तहारात मुतफर्रिक मीजान	निल	निल

(हस्ताक्षर) 20/1/26

दस्तखत

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)

बांदीकुई

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई

मु. नं. 232/2021
न्यायालय हाजा में दर्ज प्रकरण संख्या 60/2023
निर्णय दिनांक 20.01.2026

उनवान

1. गुरुसहाय सैनी पुत्र रामगोपाल सैनी उम्र 62 वर्ष जाति माली निवासी झील की ढाणी नन्देरा तहसील बसवा जिला दौसा राजस्थान।

वादी.......।

बनाम

1. धनसहाय पुत्र मालूराम उम्र 50 वर्ष
2. कल्लूराम पुत्र बीरबल उम्र 60 वर्ष
3. रेवड पुत्र कल्लूराम उम्र 35 वर्ष
4. कजोड पुत्र बीरबल (फौत के बजाय)

1/1 श्रीराम उर्फ श्रीया पुत्र स्व. कजोड
1/2 जगदीश पुत्र स्व. कजोड
1/3 रमेश पुत्र स्व. कजोड
1/4 विश्राम पुत्र स्व. कजोड माली निवासीयान् झील ढाणी नन्देरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
1/5 कमली पुत्री स्व. कजोड पत्नि कल्लू,
1/6 लक्ष्मा पुत्री स्व. कजोड पत्नि कैलाश) जाति माली निवासीयान जवान का बास गवगेढी तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

5. जगदीश पुत्र कजोडमल उम्र 40 वर्ष
6. मनमोहन पुत्र धनसहाय उम्र 30 वर्ष
7. मगनलाल पुत्र मालूराम उम्र 40 वर्ष
8. मालुराम उर्फ माल्या पुत्र बीरबल (फौत की बजाय)

1/1 सीजो बेवा स्व. माल्या
1/2 धनसहाय पुत्र स्व. माल्या
1/3 छगनलाल पुत्र स्व. माल्या
1/4 मगनलाल पुत्र स्व. माल्या जाति माली निवासीयान झील की ढाणी नन्देरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
1/5 मनबो पुत्री स्व. माल्या पत्नि हजारी
1/6 गुलाब पुत्री स्व. माल्या पत्नि मनोहर जाति माली निवासीयान भौरा गम्भी का बास धांधोलाई तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

9. विनोद पुत्र कल्लूराम उम्र 33 वर्ष
10 लोकेश पुत्र कल्लूराम उम्र 30 वर्ष
11 विश्राम पुत्र कजोडमल उम्र 38 वर्ष

सहायक कलेक्टर (फास्ट टै्क)

12 ओंकार पुत्र रामनिवास उम्र 55 वर्ष
13 दीनदयाल पुत्र ओंकार उम्र 35 वर्ष
14 त्रिलोक पुत्र ओंकार उम्र 32 वर्ष
15 गिर्राज पुत्र रामनिवास उम्र 53 वर्ष
16 रामदयाल पुत्र गिर्राज उम्र 35 वर्ष
17 गोमा देवी पत्नि धनसहाय उम्र 50 वर्ष
18 रामलखन पुत्र धनसहाय उम्र 32 वर्ष
19 ममता देवी पत्नि मनमोहन उम्र 30 वर्ष
20 रेखा देवी पत्नि लखन उम्र 31 वर्ष
21 कौशल्या देवी पत्नि ओंकार उम्र 52 वर्ष
22 प्रेम देवी पत्नि गिर्राज उम्र 50 वर्ष
23 राजन्ती देवी पत्नि रामदयाल उम्र 32 वर्ष
24 रामपति देवी पत्नि दीनदयाल उम्र 33 वर्ष
25 गुड्डी पत्नि रेवड उम्र 33 वर्ष
26 पिंकी देवी पत्नि विनोद उम्र 30 वर्ष
27 अनीता देवी पत्नि लोकेश उम्र 28 वर्ष
28 छोटी देवी पत्नि कल्लूराम उम्र 57 वर्ष
29 विरमा पत्नि विश्राम उम्र 36 वर्ष
30 कमलेश देवी पत्नि जगदीश उम्र 37 वर्ष
समस्त जाति माली निवासी झील की ढाणी नन्देरा तहसील बसवा जिला दौसा राजस्थान
31 तहसीलदार महोदय तहसील बसवा जिला दौसा

प्रतिवादीगण

<u>दावा स्थाई निषेधाज्ञा</u>

:-निर्णय-:

दिनांक 20.01.2026

वादीगण वाद दावा स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के न्यायालय में पेश किया गया उक्त प्रकरण न्यायालय हाजा में शीघ्र सुनवाई हेतु स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही गांव के निवासी है वादी से प्रतिवादीगण द्वारा एक अर्से से रंजिश व अदावट रखते चले आ रहे है। ग्राम झील की ढाणी नन्देरा तहसील बसवा कि खाता संख्या 28 नया व पुराना 26 में वादी का मशुलका मकबुजा कब्जे काश्त व खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 100 रकबा 0.12 हैक्टर वाही ए स्थित है। जिसमें वादी ने कुछ हिस्से पर अपनी रिहायश हेतु पुख्ता मकान बना रखा है जिसमें वादी अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है उक्त खसरा नम्बर 100 के उत्तर की ओर लगता हुआ खेत खसरा नम्बर 102 रकबा 0.05 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता अर्से दराज बजमाने बुजुर्गान कायम है वादी का रास्ता मुतदाविया खसरा नम्बर 102 गैर मुमकिन रास्ते में होकर ट्रैक्टर, बैल गाडी, बैल व अन्य जानवरों को ले जाता रहा है और इस रास्ते का उपयोग व उपभोग बिना किसी बाधा के करता चला आ रहा है प्रतिवादीगण ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर गलत तरीके से

αupe-

सहायक [illegible]

8. नालुराम उर्फ नाल्या पुत्र पारसा [illegible]

गैर मुमकिन रास्ते खसरा नम्बर 102 को अपनी खातेदारी मे दर्ज करवा लिया अब प्रतिवादीगण के मन में बदनीयती उत्पन्न हो गई और वे जबरन उक्त रास्ते में ढाकरे लगाकर वादी का आवागमन बन्द कर रहे है। ट्रेक्टर नही निकालने दे रहे है। पानी के टैंकर को नहीं आने दे रहे है। जिससे वादी के परिवारजन व जानवरो को पीने का पानी नही मिल पा रहा है। प्रतिवादीगण को उक्त रास्ता खसरा नम्बर 102 में ढाकरे लगाने का वादी के आवागमन को बन्द करने, वादी के खेत खसरा नम्बर 100 में जुताई आदि करने के लिये ट्रेक्टर को रोकने, पानी के टैंकर को रोकने का कोई कानूनी अधिकार नही है उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण जबरन रास्ता मुतदाविया खसरा नम्बर 102 पर जबरन अनाधिकृत कब्जा करने व रास्ते को बन्द करने पर आमादा हो रहे है। मौके पर गिरखमराई की फौरी संभावना पैदा हो रही है। ऐसी सूरत मे वादी, प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस अम्र से पाबन्द कराने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण गांव झील की ढाणी नन्देरा के खसरा नम्बर 102 गैर मुमकिन रास्ता पर अपना अनाधिकृत कब्जा करने की कोशीश करने से रास्ते में ढांकरे लगाकर वादी का आवागमन बन्द करने से वादी के खेत खसरा नम्बर 100 में जुताई हेतु ट्रेक्टर लाने लेजाने मे रूकावट पैदा नही करे पानी के टैंकर को वादी के मकान तक आने से नही रोके वादी व उसके परिवार जनो को रास्ता खसरा नम्बर 102 में होकर आने जाने से रोकने से व वादी व उसके परिवारजनों से रास्ते मे मारपीट झगडा, फिसाद करने से स्वंय या अपने ऐजेन्टों, नौकरो, घरवालो व अन्य मददगारान के दवामी तौर पर प्रतिबन्धित रहे। प्रतिवादीगण द्वारा रास्ता मुतदाविया खसरा नम्बर 102 में होकर ट्रेक्टर को नही आने देने के कारण वादी की भूमी पड़त पड़ी हुई है जिससे वादी के परिवार व जानवरों के भूखे मरने की नौबत पैदा हो गई है। दिनांक 20/09/2021 को जब वादी पीने के पानी का टैंकर लेकर रास्ता रास्ता मुतदाविया खसरा नम्बर 102 मे होकर अपने मकान में जाने लगा तो मुजले प्रतिवादीगण हथियारों से लैस होकर हमलावर हो गये तथा टैंकर वाले को भगा दिया जिससे वादी व उसके परिवाजन व जानवर प्यासे रह रहे है। प्रतिवादीगण ने एलानिया धमकी दी है। कि हम तुझे व तेरे परिवार को इस रास्ता मुतदाविया खसरा नम्बर 102 पर आवागमन नही करने देंगे और अब हम ढाकरे लगाकर रास्ता बन्द करके रहेंगे अगर प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो वादी को नुकसान अजीम नाकाबिले तलाफी व तखमीना होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर भी संभव नही हो सकेगी व गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरम्यान फरीकेन चल पड़ेगे जो बाद मे बरबादी वादी होंगे ऐसी सूरत मे दावा पेश कर प्रतिवादीगण को पाबन्द कराना आवश्यक होने के कारण दावा हाजा पेश है। बिनाय दावा व बिनाय मुखासमत दिनांक 20/09/2021 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी के पानी के टैंकर नही आने देने के कारण व रास्ते मे ढांकरे लगाकर रास्ता बन्द करने की धमकी देने से अन्दर हद्दूद न्यायालय हाजा पैदा हुई है दावा अन्दर मियाद पेश है। सकूनत फरीकेन व स्थित भूमि मुतदाविया अन्दर हद्दूद न्यायालय हाजा होने के कारण अधिकार समात मुकदमा न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि दावा वादी बर खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न इस्तदुआ स्वीकार करते हुये डिक्री फरमाया जावे। (अ) प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस अम्र से प्रति बन्धीत किया जावे कि प्रतिवादीगण वादी को रास्ता मुतदाविया खसरा नम्बर 102 रकबा 0.06 ऐयर स्थित ग्राम ढाणी झील नन्देरा तहसील बसवा जिला दौसा के उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करने से ढाकरे आदि लगाकर रास्ता मुतदाविया को बन्द करने से वादी को भूमी में जुताई करने के लिये ट्रेक्टर आदि को

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
बांदीकुई

रोकने से वादी के मकान पर पानी के लिये टैंकर को लाने से रोकने से वादी व उसके परिवारजनों को रास्ते में होकर आने जाने पर मारपीट व झगड़ा फसाद करने से रास्ता मुतदाविया पर जबरन अपना नाजायज कब्जा करने से स्वंय या अपने ऐजेन्टों, नौकरों, परवालों व अन्य मददगारान के दवामी तौर पर पाबन्द रहे रास्ता मुतदाविया खसरा नम्बर 102 को चालू रखें व भूमी मुतदाविया के मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे।(ब) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। (स) अन्य दादरसी जो करीने इन्साफ व मब्क वादी हो और अता फरमाई जावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण की ओर से गिर्राज सैन एडवोकेट द्वारा पावर पेश की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 30 की ओर से जवाब पेश किया गया जो संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:- वाद पत्र का जिम्मन नम्बर एक में वादी एवम् प्रतिवादीगण का एक ही गाँव के निवासी होना स्वीकार है बाकी तथ्य जिस प्रकार तहरीर किये गये है कतई गलत है स्वीकार नही है प्रतिवादीगण द्वारा कोई रंजिश व अदावट वादी से नही रखी गयी है। सारे तथ्य मनगढन्त व झूठे दर्ज किये है। वाद पत्र का जिम्मन नम्बर 2 में भूमि कास्त खाता संख्या 28 नया व पुराना 26 के ,खसरा नम्बर 100 रकबा 0.12 ऐयर वाही ए वादी की मगलूका मकबूजा कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि होना स्वीकार है शेष तथ्य जिस तरह से तहरीर किये गये है जो कतई गलत, निराधार एवम मनगढन्त दर्ज किये गये है। क्यो कि भूमि खाता संख्या नया 26 पुराना 23 के खसरा नम्बरान 102 रकबा 0.0600 हैक्टे० खसरा नम्बर 103 रकबा 0.2100 हैक्टे०, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.3100 हैक्टे० वाके ग्राम झील की ढाणी पवार हल्का नन्देरा तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है जिसकी खतौनी सवत 2074 2077 जमाबन्दी 2074 (2018) में दर्ज है। जो प्रतिवादीगण कल्लूराम, कजोड़, मालूराम उर्फ माल्याराम जाति समस्त माली की संयुक्त कब्जे काश्त एवम् खातेदारी की भूमि है उक्त भूमि का कुल रकबा 0.5800 हैक्टेयर है। वादी का उपरोक्त वर्णित भूमि से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार व वास्ता ना तो कभी था और ना ही वर्तमान में है। खसरा नम्बर 102 जिसका साबिका खसरा नम्बर 37 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा का है जिसका नक्शा ट्रेस दिनाँक 16/2/2022 कार्या कलेक्टर (भू.अ.) दौसा की प्रमाणित प्रतिलिपि में पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई रास्ता दर्ज नहीं है। किन्तु सरकारी अहलकारान की गलती व राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती से वर्तमान नक्शा इन्द्राज में गलती से खसरा नम्बर 102 में रास्ता गलत दर्ज कर दिया जबकि खसरा नम्बर 102 कोई रास्ते की भूमि कभी नहीं रही है। खसरा नम्बर 102 प्रतिवादीगण की नम्बर 2, 4 व 8 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही है। वाद पत्र का जिम्मन नम्बर 3 जिस तरह तहरीर किया गया कतई गलत, मनगढन्त व बनावटी तथ्यों के आधार पर दर्ज किया है जो कि कतई गलत है स्वीकार नहीं है । भूमि मुतदाविया खसरा नम्बर 102 कभी पूर्व में गैर मुमकिन रास्ता रहा ही नहीं है बल्कि खसरा नम्बर 102 की भूमि हम प्रतिवादीगण संख्या 2, 4 व 8 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही है जिससे वादी का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार व वास्ता नही रहा है। तथा प्रतिवादीगण ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर अपनी खातेदारी में दर्ज नही करवाया है बल्कि पूर्व से ही शुरू से ही उक्त खसरा नम्बर 102 विपक्षीगण प्रतिवादीगण संख्या 2, 4 व 8 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी में चला आ रहा है। अब राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती से खसरा नम्बर 102 में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हो जाने का नाजायज लाभ उठाने की गरज से यह कतई गलत दावा पेश किया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा कोई

[signature]

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
बांदीकुई

8. मालुराम उर्फ माल्या पुत्र पारस्या

अनाधिकृत कब्जा नहीं किया जा रहा बल्कि प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही है और अब वर्तमान में भी प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। जब खसरा नम्बर 102 गैर मुमकिन रास्ता नही है तो उसे प्रतिवादीगण द्वारा बन्द करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अतिरिक्त कथन वादी द्वारा उपरोक्त दावा कई महज झूठा बेबुनियादी तथ्यों पर अदालत हाजा को गुमराह करने की गरज से पेश किया है जो मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। वादी स्वच्छ हाथो से अदालत हाजा मे नहीं आया है। वादी ने दावा स्थायी निषेधाज्ञा का कतई गलत मनगढ़ना निराधार तथ्यों पर प्रस्तुत किया है क्योंकि भूमि खाता संख्या नया 26 पुराना 23 के खसरा नम्बरान 102 रकबा 0.0600 हैक्टे० खसरा नम्बर 103 रकबा 0.2100 हैक्टे०, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.3100 हैक्टे० वाके ग्राम झील की ढाणी पटवार हल्का नन्देरा तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है जिसकी खतौनी संवत 2074-2077 जमाबन्दी 2074 में 2018 में दर्ज है जो प्रतिवादीगण कालूराम, कजोड़, मालूराम उर्फ माल्याराम जाति माली की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि का कुल रकबा 0.5800 हैक्टे० है। वादी का उपरोक्त वर्णित भूमि से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार व वास्ता ना तो कभी था और ना ही वर्तमान में है। खसरा नम्बर 102 जिसका साबिका खसरा नम्बर 37 रकबा 2 बीघा 0 बिस्वा का है जिसका नक्शा ट्रेस दिनांक 16/2/2022 कृते कलक्टर भू अ० दौसा की प्रमाणित प्रतिलिपि में पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई रास्ता दर्ज नही है किन्तु सरकारी अहलकारान को गलती व राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती से वर्तमान नक्शा ट्रेस में गलती से खसरा नम्बर 102 में रास्ता गलत दर्ज कर दिया जबकि खसरा नम्बर 102 कोई रास्ते की भूमि कभी नहीं रही है। खसरा नम्बर 102 प्रतिवादीगण संख्या 2, 4, व 8 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही है। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का उक्त जवाब पेश होने पर प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गई।

तनकी संख्या 1 आया वादी विरूद्ध प्रतिवादी की वादग्रस्त खसरा नम्बर 102 रकबा 0.06 है ढाणी नन्देरा रास्ता उपयोग उपभोग उपभोग में बाधा नही उत्पन्न करने /कराने मौका यथा स्थिति बनाये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। वादी ____।

तनकी संख्या 2 आया वादग्रस्त भूमि ख.न. 102,103,104 से वादीगण का कोई संबंध सरोकार नही है। संयुक्त कब्जे काश्त भूमि है रिकार्ड में गलत गै.मु. रास्ता दर्ज जिसकी आड में जबर दस्ती रास्ता निकल वाना चाहते, वाद खारिज योग्य है।

प्रकरण में उक्त तनकीयात कायम होने के बाद प्रकरण वादी साक्ष्य पर नियत किया गया। वादी की ओर से गुरुसहाय पुत्र रामगोपाल, गिरधर सिंह, रामकिशोर सैनी, का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। वादी साक्ष्य बन्द की जाकर प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य पर नियत किया गया प्रतिवादी की ओर से रेवडराम पुत्र कल्लु, घनसहाय पुत्र मालूराम, जगदीश पुत्र कजोडमल ,का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये। जिरह वादी अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की जाकर प्रकरण बहस पर नियत किया गया। बहस सुनी गई गई।

दौराने बहस वादी अधिवक्ता का तर्क रहा कि वादी का रास्ता मुतदाबिया खसरा नम्बर 102 गैर मुमकिन रास्ते में होकर ट्रैक्टर, ऊँट गाडी, बैल व अन्य जानवरो को ले जाता रहा है और इस रास्ते का उपयोग व उपभोग बिना किसी बाधा के करता चला आ रहा है प्रतिवादीगण ने राजस्व अधिकारियो से मिलकर गलत तरीके से गैर मुमकिन रास्ते

राजस्व कोर्ट (फास्ट ट्रैक)

खसरा नम्बर 102 को अपनी खातेदारी में दर्ज करवा लिया अब प्रतिवादीगण के मन में बद्नियती उत्पन्न हो गई और वे जबरन उक्त रास्ते में ढाकरे लगाकर वादी का आवागमन बन्द कर रहे है। ट्रेक्टर नही निकालने दे रहे है। पानी के टैंकर को नहीं आने दे रहे है। दावा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब दावे को दोहराते हुये तर्क किया है कि वादी स्वच्छ हाथों से अदालत हाजा में नही आया है। वादी ने दावा स्थायी निषेधाज्ञा का कतई गलत मनगढन्त निराधार तथ्यों पर प्रस्तुत किया है क्योंकि भूमि खाता संख्या नया 26 पुराना 23 के खसरा नम्बरान 102 रकबा 0.0600 हैक्टे० खसरा नम्बर 103 रकबा 0.2100 हैक्टे०, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.3100 हैक्टे० वाकै ग्राम झील की ढाणी पटवार हल्का नन्देरा तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है जिसकी खतौनी संवत 2074–2077 जमाबन्दी 2074 में 2018 में दर्ज है वो प्रतिवादीगण कालूराम, कजोड़, मालूराम उर्फ माल्याराम जाति माली की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि का कुल रकबा 0.5800 हैक्टे० है। वादी का उपरोक्त वर्णित भूमि से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार व रास्ता ना तो कभी था और ना ही वर्तमान में है। खसरा नम्बर 102 जिसका साबिका खसरा नम्बर 37 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा का है जिसका नक्शा ट्रेस दिनांक 16/2/2022 कृते कलक्टर भू. अ० दौसा की प्रमाणित प्रतिलिपि में पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई रास्ता दर्ज नहीं है किन्तु सरकारी अहलकारान की गलती व राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती से वर्तमान नक्शा ट्रेस में गलती से खसरा नम्बर 102 में रास्ता गलत दर्ज कर दिया जबकि खसरा नम्बर 102 कोई रास्ते की भूमि कभी नहीं रही है। अतः वाद खारिज किया जावे।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है:–

तनकी संख्या 1 आया वादी विरूद्ध प्रतिवादी की वादग्रस्त खसरा नम्बर 102 रकबा 0.06 है ढाणी नन्देरा रास्ता उपयोग उपभोग उपयोग में बाधा नही उत्पन्न करने /कराने मौका यथा स्थिति बनाये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है वादी द्वारा अपने कथन को साबित करने हेतु प्रदर्श 1 ग्राम झील की ढाणी खाता संख्या नया 28 पुराना 26 , खाता संख्या नया 26 पुराना 23 की जमाबन्दी, प्रदर्श 2 नकल टीआई प्रार्थना पत्र आदेशिका , प्रदर्श 3 धारा 107–151 पाबन्दी की आदेशिका पेश की गई है। प्रदर्श –5 प्रार्थना की प्रति, प्रदर्श 6 एफआईआर की प्रति। पेश की गई है। वादी भूमि खसरा नम्बर 102 रकबा 0.06 में वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहता है। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब की ताईद में प्रदर्श डी 1, प्रदर्श डी 2 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श डी 3 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श डी 4,5 नक्शा, पेश किये गये प्रदर्श डी 1 ग्राम झील की ढाणी खाता संख्या नया 26 पुराना 23 संवत 2074–2077 की जमाबन्दी प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है। जिसमें भूमि खसरा नम्बर 102 गै०मुमकिन रास्ता दर्ज है। प्रदर्श डी 5 ,प्रदर्श डी 6 के अनुसार खसरा नम्बर 102 साबिक खसरा नम्बर 37 से बना हुआ है। जिसमे गै.मुमकिन रास्ता नही है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है। खातेदारी भूमि में किसी खातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। उक्त तनकी को साबित करने में वादी असफल रहा है। तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में तय नही की जा सकती है।

तनकी संख्या 2 आया वादग्रस्त भूमि ख.न. 102,103,104 से वादीगण का कोई संबंध सरोकार नही है। संयुक्त कब्जे काश्त भूमि है रिकार्ड में गलत गै.मु. रास्ता दर्ज

अ॰५६

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
बाँदीकुई

जिसकी आड़ में जबर दस्ती रास्ता निकल जाना चाहते ,वाद खारिज योग्य है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर प्रतिवादीगण द्वारा पेश दस्तावेज प्रदर्श डी 1, प्रदर्श डी 2 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श डी 3 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श डी 4,5 नक्शा, पेश किये गये प्रदर्श डी 1 ग्राम झील की ढाणी खाता संख्या नया 26 पुराना 23 सांवत 2074-2077 की जमाबन्दी प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है। परन्तु राजस्व रिकार्ड मे किस प्रकार गै.मु. रास्ता दर्ज हुआ इसके बाबत कोई दस्तावेज प्रतिवादीगण के द्वारा पेश नहीं किये गये है। उक्त तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 3 अनुतोष तनकी संख्या 1 लगायत 2 के विवेचन के आधार पर वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है। खातेदारी भूमि मे किसी खातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। वाद खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वाद वादी दावा स्थायी निषेधाज्ञा भूमि खाता संख्या नया 26 पुराना 23 के खसरा नम्बर 102 ग्राम झील की ढाणी प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि में होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी होकर। प्रकरण वाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 20.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/1/26

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
उदयपुर